

14 सितंबर, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 54वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 54.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स साइबर सिटी बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	बालानगर मंडल, कुकटपल्ली नगरपालिका, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, आंध्र प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10.12	हां	हां	एसजीआर प्राप्त न होने के कारण 25 मार्च, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने पत्र दिनांक 11 जून, 2012 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफाकरश की है।

*राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 54.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) बल्लंदपुर गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्रिटेक प्रोजेक्ट्स का अनुरोध

14.696 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स प्रिटेक प्रोजेक्ट्स ने उक्त एसईजेड में 2.023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 6 जुलाई, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि पट्टा करार के अनुसार सह विकासक को 1000 रुपए की मामूली राशि का हर साल भुगतान करना है तथा 10000 रुपए की राशि एकबारगी जमा करनी है और इस राशि में वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा फिर से विचार किए जाने के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद पट्टा करार की प्रकृति पर विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुसार विकास आयुक्त, सीएसईजेड की रिपोर्ट दिनांक 14 अगस्त 2012 जिसमें करार का विश्लेषण किया गया है, प्राप्त हो गई है (अनुबंध 1, पृष्ठ संख्या 26-27) जिसके माध्यम से विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम खराडी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एयॉन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ए2जेड आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

18 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 28 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 08 दिसंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अधिसूचित एसईजेड में 4.86 हेक्टेयर की वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। 06 जनवरी, 2009 को एलओए जारी किया गया था। तथापि, अतिरिक्त क्षेत्रफल अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। मैसर्स एजेड आनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने उपर्युक्त एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्र में निम्नलिखित के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(क) विकास कार्य जैसे कि फिट आउट में निवेश करने के लिए प्लग एंड प्ले में वार्म शेल परिसर का परिवर्तन। अवसंरचना सुविधाओं के विकास / सृजन में भाग लेना जैसे कि कैफेटीरिया, फूड कोर्ट, कैंटीन तथा मनोरंजन केन्द्र और विकासक को डिजाइन, आयोजना एवं परामर्श सहायता प्रदान करना तथा वास्तविक विकास का पर्यवेक्षण एवं निगरानी।

(ख) प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए अपेक्षित उपकरण में निवेश सहित एसईजेड का प्रचालन एवं अनुरक्षण। प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रबंध प्रशासनिक प्रबंधन, भवन सुरक्षा प्रक्रियाएं तथा अन्य आवश्यक गतिविधियां।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 फरवरी, 2012 भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सिफारिश की है कि अनुमोदन बोर्ड प्रस्ताव पर विचार करे।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली, हैदराबाद जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड 10.617 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित उक्त एसईजेड में सह विकासक है। एसईजेड में 100 प्रतिशत प्रसंस्करण क्षेत्र है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	अनुरोध की गई मात्रा (वर्गमीटर में)
1.	इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदाता तथा टेलीकॉम वेंडर सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं	700
2.	बैंक	1050
3.	एटीएम	50
4.	सामान्य डाटा केन्द्र	200
5.	व्यवसाय और सम्मेलन केन्द्र	2000
6.	कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र	300
7.	क्रेच	1000
8.	जिम	1000
9.	इंडोर गेम्स	1000
10.	स्पा	500
11.	सैलून	200
12.	फोटो प्रिंटिंग, सूचना केन्द्र, कूरियर पिकअप, ट्रेवल डेस्क, अग्रिम	200

	आरक्षण, संचार डिवाइस, कार्मिक यूनिंग सेवा तथा स्वास्थ्य सहायता सेवाएं	
13.	सुविधा स्टोर	1000
14.	मेडिकल सेंटर / क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक्स	200
15.	फार्मसी	40
16.	यूनिटों तथा कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी के लिए रिटेल स्पेस, कंप्यूटर असेसरीज, गिफ्ट और नावेल्टीज, रीड एंड रेंट आदि	1000

विकास आयुक्त, वीएसईजेड से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। विकास आयुक्त ने बताया है कि कुल 35 प्रचालन यूनिटें हैं जो लगभग 20000 लोगों को सीधा रोजगार तथा 5000 लोगों को परोक्ष रोजगार सुविधा प्रबंधन, सुरक्षा आदि के मामले में प्रदान कर रही हैं। एसईजेड ने 2011-12 के दौरान 2040 करोड़ रुपए का निर्यात किया। 4.2 लाख वर्गमीटर के कुल निर्मित कार्यालय भवन क्षेत्र में से 60 प्रतिशत अर्थात् 2.6 लाख वर्गमीटर आईटी / आईटीईएस निर्यात प्रचालन के लिए यूनिटों को पट्टा पर दिया गया है। 35 प्रतिशत क्षेत्र पार्किंग के लिए आरक्षित रखा गया है। सूचित किया गया है कि एसईजेड से प्रचालन करने वाली यूनिटों तथा एसईजेड में काम करने वाले पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की व्यवसाय, खाद्य, स्वास्थ्य, मनोरंजन तथा दैनिक निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सह विकासक उपर्युक्त सुविधाओं के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में (पहले से निर्मित कार्यालय भवन में) लगभग 5 प्रतिशत अर्थात् लगभग 20000 वर्गमीटर के शेष स्थान को सीमांकित एवं पट्टे पर देना चाहता है। इसके अलावा अधिकांश यूनिटें 24 घंटे प्रचालन करती हैं तथा देर रात और रात्रि की पालियों में काम करने वाले लोगों के लिए अपेक्षित निजी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। यहां काम करने वाले अधिकांश प्रोफेशनल प्रातः 8-9 बजे घर से निकल जाते हैं तथा रात्रि के 8-9 बजे तक घर पहुंचते हैं। इस प्रकार अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचता है। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्पा, सैलून, सुविधा स्टोर एवं फुटकर स्थान के लिए स्थान पर लगाए गए प्रतिबंध के अधीन उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों की सिफारिश की है।

उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड जो कांचीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

152.66.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड प्रसंस्करण क्षेत्र में 20.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल का सह विकासक है। सह विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	यूनिटों की संख्या	यथालागू एफएसआई / एफएआर मानदंड के अनुसार प्रति यूनिट क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	गेस्ट हाउस / डार्मेटरीज का निर्माण	ग्राउंड + 3 फ्लोर में 160 कमरे	लागू नहीं	9289.36

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि सह विकासक कल्याण के उपाय के रूप में क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के लिए गेस्ट हाउस / डारमेटरी का निर्माण करने की योजना बना रहा है तथा गेस्ट हाउस / डारमेटरी का प्रयोग ऐसे कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम के रूप में किया जाएगा जो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में काम करेंगे / देर रात्रि तक काम करेंगे तथा इसका प्रयोग ऐसे कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए किया जाएगा जो सरकारी कामकाज के लिए अन्य लोकेशन से यात्रा करते हैं। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुरोध की सिफारिश की है।

उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

21.59023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। एसईजेड में 10.86974 हेक्टेयर का प्रसंस्करण क्षेत्र और 10.72049 हेक्टेयर का गैर प्रसंस्करण क्षेत्र है। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अपेक्षित एफएआर की मात्रा (वर्गमीटर में)	अब तक प्रदान की गई अनुज्ञप्ति	मांगी गई अनुज्ञप्ति की मात्रा
1.	आवासीय	60086 (जीसी: 34323)	30000	30086
2.	वाणिज्यिक	15021 (जीसी: 8581)	7500	7521
3.	सामाजिक	14306 (जीसी: 14301)	12500	1806

विकासक ने बताया है कि 14600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एसईजेड क्षेत्र का निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है तथा इससे 27000 प्लस लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ एसईजेड में एकीकृत आवासीय, वाणिज्यिक एवं सामाजिक सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य जीवंत एकीकृत वाक टू वर्क परिवेश का विकास करना है जो आईटी प्रोफेशनल के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है तथा वैश्विक ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) ग्राम बेहरामपुर, बलोला और बंधवारी, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एवं इलेक्ट्रॉनिक के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

36.766 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। एसईजेड में 22.147 हेक्टेयर का प्रसंस्करण क्षेत्र और 14.620 हेक्टेयर का गैर प्रसंस्करण क्षेत्र है। विकासक ने एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	अपेक्षित एफएआर की मात्रा (वर्गमीटर में)	अब तक प्रदान की गई अनुज्ञप्ति	मांगी गई अनुज्ञप्ति की मात्रा
1.	आवासीय	153562 (जीसी: 87720)	शून्य	153562
2.	वाणिज्यिक	38391 (जीसी: 21930)	शून्य	38391
3.	सामाजिक	36562 (जीसी: 36550)	शून्य	36562

विकासक ने बताया है कि 20000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एसईजेड क्षेत्र का निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है तथा इससे 59000 प्लस लोगों के लिए रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने प्रसंस्करण क्षेत्र के साथ एसईजेड में एकीकृत आवासीय, वाणिज्यिक एवं सामाजिक सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव किया है। इसका उद्देश्य जीवंत एकीकृत वाक टू वर्क परिवेश का विकास करना है जो आईटी प्रोफेशनल के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है तथा वैश्विक ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.4 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) अच्युतपुरम और रामबिल्ली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पन्न एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध

2206.03 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 12 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 905.21 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1300.82 हेक्टेयर हो जाएगा। डीटीए यूनिटों को आवंटन करने के लिए क्षेत्रफल को विमुक्त किया जा रहा है क्योंकि इन यूनिटों से काफी मांग है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि विमुक्त की जा रही भूमि के संबंध में 3036979 रुपए का इयूटी लाभ प्राप्त किया गया है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यह सूचित करते हुए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है कि एसईजेड प्रस्तावित विमुक्तीकरण के बाद संस्पर्शी बना रहेगा।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) मिहान, नागपुर, महाराष्ट्र में अधिसूचित बहु उत्पन्न एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एमएडीसी का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 29 मई 2007 को 1511.51 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 66.90 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1578.41 हेक्टेयर हो गया। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10.12 हेक्टेयर की भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिस पर मैसर्स डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने सह विकासक के रूप में इंटरनेशनल स्कूल स्थापित किया है। उल्लेखनीय है कि 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंटरनेशनल स्कूल स्थापित

करने के लिए मैसर्स डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

विकासक ने सूचित किया है कि डॉ. डी वाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल क्रियाशील हो गया है। चूंकि एसईजेड में स्कूल के लिए कोई मांग नहीं है इसलिए सह विकासक ने 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। यह भी सूचित किया गया है कि विकासक ने उक्त स्कूल के लिए कोई इयूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि एसईजेड में 360.95 हेक्टेयर का गैर प्रसंस्करण क्षेत्र है। अनुमोदन बोर्ड 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 338.28 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर चुका है। 28 नवंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 12.55 हेक्टेयर (जिस पर मैसर्स रिटाक्स का कब्जा है) को विमुक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस प्रकार अनुमोदन बोर्ड गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के 350.83 हेक्टेयर को विमुक्त करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर चुका है। तथापि, इसके लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। परंतु 350.83 हेक्टेयर को विमुक्त करने की अधिसूचना जारी होने के बाद डॉ. डी वाई पाटिल के कब्जे वाला 10.12 हेक्टेयर मौजूदा एसईजेड से संस्पर्शी नहीं बना रहेगा। इसलिए विकास आयुक्त ने विमुक्त करने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध को मंजूरी प्रदान करने का प्रभाव यह भी होगा कि 8 दिसंबर 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स डॉ. डी वाई पाटिल एजुकेशनल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को सह विकासक का प्रदान किया गया दर्जा वापस लेना होगा।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) गुडगांव, फरीदाबाद रोड, गुडगांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

11.2166 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने 1.7275 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे कुल क्षेत्रफल 12.9441 हेक्टेयर हो जाएगा। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि एसईजेड से संस्पर्शी नहीं है। विकासक ने अंडरग्राउंड पैसेज तथा उपयुक्त फ्लाइओवर का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह भी सूचित किया गया है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है, भारग्रस्त नहीं है तथा उस पर विकासक का कब्जा है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) वल्लारपदम, कोचीन में पोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए अधिसूचित की गई भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

115.25 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 2 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 4.8035 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 110.4465 हेक्टेयर हो जाएगा। क्षेत्रफल को विमुक्त किया जा रहा है ताकि राजस्व विभाग आइसगोट ईडीआई सिस्टम का गेट माइयूल इंस्टाल कर सके। विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने यह सूचित करते हुए विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है कि एसईजेड प्रस्तावित विमुक्तीकरण के बाद संस्पर्शी बना रहेगा।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम भामासरा, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 24 नवंबर, 2008 के माध्यम से ग्राम भामासरा, तालुक बावला, जिला अहमदाबाद, गुजरात में 109.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स प्रदीप ओवरसीज लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने बताया है कि एसईजेड यूनिटों में विशेष रूप से मेट लगाने की शर्तों एवं नियमों में परिवर्तन के कारण टेक्सटाइल एसईजेड प्रतिभागी उद्यमियों के लिए लाभप्रद विकल्प नहीं रह गया है। टेक्सटाइल एसईजेड में भाग लेने के लिए देश के टेक्सटाइल उद्यमियों से उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। विकासक ने यह भी बताया है कि उक्त एसईजेड के लिए भूमि की अधिसूचना जारी करने के लिए उन्होंने भारत सरकार से संपर्क नहीं किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड के सिफारिश की प्रतीक्षा है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.6 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) विधान नगर टाउनशिप दुर्गपुर, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स बंगाल शपूजी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 9 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने आईटी / आईटीईएस स्पेस के लिए मांग में कमी के कारण एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.7 : खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लोकेशन में परिवर्तन के लिए मैसर्स अक्षयपात्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 12 अगस्त, 2009 के माध्यम से अगोल, तालुक काडी, जिला मेहसाना, गुजरात में 108.3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। विकासक ने एसईजेड का लोकेशन अगोल, तालुक काडी, जिला मेहसाना, गुजरात से बदलकर ग्राम फेडरा, तालुक धनधुका, अहमदाबाद, गुजरात करने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक का अनुरोध दिनांक 17 जुलाई, 2012 जिसमें लोकेशन में परिवर्तन के लिए औचित्य प्रदान किया गया है, अनुबंध 2 (पृष्ठ संख्या 28-29) के रूप में संलग्न है।

विकास आयुक्त, केएसईजेड के सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.3 : पांचवें एवं छठे साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम बेहरामपुर एवं बलोला, जिला गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 36.766 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने सूचित किया है कि कंपनी गुडगांव में विश्व स्तरीय एसईजेड स्थापित एवं प्रचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है परंतु विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने में विलंब तथा आर्थिक मंदी के कारण परियोजना विलंबित हुई है। यह भी बताया गया है कि कंपनी को पूरा विश्वास है तथा विश्व स्तरीय उत्पाद डिलीवर करने के लिए कंपनी में क्षमता, प्रतिबद्धता है तथा विश्व की प्रमुख खिलाड़ियों के साथ अनुबंध किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 जून, 2012 के बाद (छठे वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 14 जून, 2006 के माध्यम से 36.42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 36.4218 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 जून, 2012 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए यह कहते हुए अनुरोध किया है कि वन विभाग से विमुक्तिकरण का आदेश उपलब्ध न होने के कारण परियोजना का कार्यान्वयन लंबित है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) त्रिककाकारा गांव, कनायान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के

बाद (छठे वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 अगस्त, 2006 के माध्यम से 12.141 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.141 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 20 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने चारदीवारी का निर्माण पूरा कर लिया है, 110 केवी का सब स्टेशन सहित एसईजेड के लिए बाहरी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कर ली है तथा बाहरी सड़क का विकास कर लिया है। जलापूर्ति वितरण प्रणाली से संबंधित कार्य भी पूर्ण होने के कगार पर है। सह विकासक द्वारा चरण 1 के भवन का निर्माण प्रगति पर है तथा फरवरी 2013 तक कार्य पूर्ण हो जाने की उम्मीद है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) इलांदैकुलम गांव, मदुरै I, मदुरै उत्तर तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.705 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 25 जुलाई, 2012 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि इस एसईजेड से जून 2013 तक अधिकृत प्रचालन आरंभ हो जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) गंगैकॉडन, तिरुनवेली, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 40.48 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 8 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि इस एसईजेड से जून 2013 तक अधिकृत प्रचालन आरंभ हो जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) वडापालनजी गांव, मदुरै दक्षिण तालुक और किन्नीमंगलम गांव, तिरुमंगलम तालुक, मदुरै II, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 86.465 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि इस एसईजेड से जून 2013 तक अधिकृत प्रचालन आरंभ हो जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) होसुर, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 70.085 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 70.010 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि इस एसईजेड से जून 2013 तक अधिकृत प्रचालन आरंभ हो जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) जगीर अम्मापलयम गांव, सलेम तालुक, सलेम जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु (ईएलसीओटी) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 66.505 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि इस एसईजेड से जून 2013 तक अधिकृत प्रचालन आरंभ हो जाएगा। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए

उन्होंने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) आरासुर गांव, पल्लाडम तालुक, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स डू डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 11.585 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.504 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 29 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि वैश्विक मंदी, आईटी / आईटीईएस उद्योग में गिरावट, मेट तथा लाभांश वितरण कर लगाए जाने के कारण उनकी व्यवसाय योजनाएं प्रभावित हुई हैं तथा वे अनुसूची के अनुसार एसईजेड का विकास करने के लिए अपनी मूल योजना को लागू करने में समर्थ नहीं हुए हैं तथा एसईजेड को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकारी घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने और समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि वे 2013 तक एसईजेड को क्रियाशील बनाना चाहते हैं। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) श्रीपेरम्बटूर, तमिलनाडु में आईटी / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स फाक्सकॉन इंडिया डवलपर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 5 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि वैश्विक मंदी, कर नियमों में परिवर्तन, आईटी / आईटीईएस उद्योग में मंदी, एसईजेड यूनिटों पर मेट, लाभांश कर लगाए जाने के कारण उनकी व्यवसाय योजना आदि प्रभावित हुई है तथा वे एसईजेड का विकास करने के लिए अपनी मूल योजना को लागू करने में समर्थ नहीं हुए हैं। विकासक ने बताया है कि अब इस क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है तथा वे आशा करते हैं कि वर्ष 2012-13 तक एसईजेड क्रियाशील हो जाएगा। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) सोलंकुरिनी गांव, मदुरै तालुक, मदुरै जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स रुद्रदेव टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 26 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 31.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 22 अप्रैल, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 25 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि वैश्विक मंदी के कारण वे अनुसूची के अनुसार एसईजेड का विकास करने के लिए अपनी मूल योजना को लागू करने में समर्थ नहीं हुए हैं तथा उन्होंने यह भी बताया है कि अब इस क्षेत्र में रुचि बढ़ रही है तथा वे आशा करते हैं कि वर्ष 2012-13 तक एसईजेड क्रियाशील हो जाएगा। विकासक ने अब तक 1164 लाख रुपए मूल्य की सामग्री की खरीदारी कर ली है तथा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xii) महादेवपुरा एवं कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, हवाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 3 जुलाई, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 14.2903 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 4 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 2 जुलाई, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने सूचित किया है कि जब बंगलौर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास योजना अनुमोदित हो जाएगी तो वे परियोजना का निर्माण शुरू करेंगे। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) दीमापुर, नागालैंड में बहु उत्पन्न एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स एचएन कंपनी का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 400 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है क्योंकि एसईजेड के कुछ अंश से होकर आर्मी बाईपास रोड गुजर रही है। अब विकासक ने आर्मी बाईपास रोड के आगे वाले क्षेत्रफल को बाहर करने का निर्णय लिया है ताकि सन्निकटता की आवश्यकता पूरी हो सके। सन्निकटता के मुद्दे के निराकरण के बाद विकासक ने 293.40 हेक्टेयर (725 एकड़) के संस्पर्शी क्षेत्रफल की अधिसूचना के लिए निरीक्षण करने के लिए मार्च 2012 में एफएसईजेड को संगत दस्तावेज प्रस्तुत किया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गई तथा वाणिज्य विभाग में प्रक्रियाधीन है। 6 जुलाई 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को विलंब को माफ करते हुए 29 जुलाई 2012 तक का विस्तार प्रदान किया गया था। चूंकि विकासक एसईजेड की अधिसूचना के बाद ही विकास कार्य शुरू कर सकता है इसलिए 29 जुलाई 2012 के बाद वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) आईटी प्लॉट (आईआईएफ/3), एक्शन एरिया 2, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 14 दिसंबर, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 26 मई, 2008 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 दिसंबर, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि साइट पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा पाइलिंग वर्क चल रहा है। विकासक ने यह भी बताया है कि चूंकि यह परियोजना बड़ी है तथा कोलकाता में मृदा की स्थितियों को देखते हुए काफी पाइलिंग वर्क की आवश्यकता है, इसलिए परियोजना को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। परियोजना को पूरा करने के लिए उनको कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने 13 दिसंबर, 2014 तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एक साल के लिए अर्थात् 13 दिसंबर, 2013 तक का समय विस्तार प्रदान करने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xv) गौड़काशीपुर तथा एरिसल गांव, तहसील जतनी, जिला खुर्दा, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.260 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 24 अक्टूबर, 2012 तक वैधता अवधि बढ़ाई जा चुकी है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा परियोजना को पूरा करने के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने सूचित किया है कि मैसर्स इनफोसिस एंकर टीनेंट है तथा उसे इस परियोजना के लिए 27 दिसंबर 2011 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया है। अपनी परियोजना को स्थापित करने तथा वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने के लिए यूनिट को तीन साल की आवश्यकता है जो दिसंबर 2014 की समाप्ति तक है। इसलिए विकासक ने दिसंबर 2014 तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xvi) भोंडसी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) तीसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 अगस्त, 2006 के माध्यम से 10.62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.936 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 3 दिसंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को एक-एक साल का तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 24 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि परियोजना ऐसे कारणों से विलंबित हुई है जो उसके नियंत्रण से परे थे। परियोजना को लागू करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अपनी सिफारिश के बगैर अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रहित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xvii) चेलंबरा गांव में कक्कनचेरी, तिरुंगडी तालुक, मलप्पुरम जिला, केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 जुलाई, 2012 के बाद (6ठें वर्ष के बाद) दूसरी बार बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 6 जुलाई, 2006 के माध्यम से 13.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। 05 जुलाई, 2012 तक वैधता अवधि बढ़ाई जा चुकी है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा सूचित किया है कि एसईजेड में 3 यूनिटों में से जिस एक यूनिट ने निर्माण कार्य शुरू किया है वह पूर्ण होने के कगार पर है तथा जुलाई 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की उम्मीद थी। तथापि, निर्माण के लिए स्वीकृतियां प्राप्त करने में इस यूनिट को अभूतपूर्व विलंब का सामना करना पड़ा और इसलिए जुलाई 2012 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हो सका तथा वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इसलिए यूनिट ने एसईजेड को क्रियाशील बनाने के लिए कम से कम 6 माह के लिए वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने 6 माह की अवधि के लिए अर्थात् 05 जनवरी, 2013 तक वैधता अवधि पुनः बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xviii) फरीदाबाद रोड, गुडगांव, हरियाणा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 05 नवंबर, 2012 के बाद (6ठें वर्ष के बाद) पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स मेट्रो वैली बिजनस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 06 नवंबर, 2006 के माध्यम से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.2166 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को एक-एक साल का तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 05 नवंबर, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है तथा बताया है कि कंपनी ने परियोजना में अब 140 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें से 30.5 करोड़ रुपए एफडीआई है ताकि वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धी अवसंरचना का

सृजन हो सके। 2008 में मास्टर प्लान के अनुमोदन के बाद हरियाणा राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में उनको तीन साल लग गए थे। कंपनी ने अक्टूबर 2012 के अंत तक निर्माण शुरू करने के लिए सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.9 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विलंब से किए गए अनुरोध

(i) ग्राम चीमेनी, कासरगोड जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 सितंबर, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल स्टेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केएसआईटीआईएल) का अनुरोध

एलओए दिनांक 19 सितंबर, 2008 के माध्यम से 40.40.76 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 19 सितंबर, 2011 से समाप्त हो गई है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने में विलंब को माफ करने तथा 18 सितंबर 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। बताया गया है कि औपचारिक अनुमोदन के समय एसईजेड के प्रयोजनार्थ अलग रखी गई भूमि को ट्रांसफर करने के लिए सरकारी आदेश में कुछ चूक थी तथा राज्य सरकार के जेल विभाग द्वारा तथा एक खुली जेल के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित भूमि के कुछ भाग के उपयोग का प्रस्ताव था। परियोजना को लागू करने के लिए कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व इस चूक को ठीक करने की आवश्यकता थी। एसईजेड के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली भूमि पर स्पष्टता के अभाव में केएसआईटीआईएल आगे बढ़ाने तथा एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करने की स्थिति में नहीं था। चूंकि सुधार के लिए मंत्रिमंडल के आवेदन की आवश्यकता थी इसलिए यह समय साध्य कार्य था तथा 16 जुलाई 2012 को पूर्ण हुआ। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि अब विकासक का 100 एकड़ (40.47 हेक्टेयर) भूमि पर कब्जा है तथा आईटी एसईजेड के लिए विकास कार्य शुरू करने के लिए तैयार है। विकासक अधिसूचना के लिए सभी संगत दस्तावेजों के साथ तैयार है। मास्टर प्लान भी तैयार है। पहले आईटी भवन के विकास के लिए 21.41 करोड़ रुपए का नाबाई ऋण भी संस्वीकृत किया गया है जहां मई 2014 तक आईटी प्रचालन आरंभ हो जाने की उम्मीद है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विलंब को माफ करने तथा 18 सितंबर 2013 तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.10 : सौरार तहसील, छिंदवाड़ा जिला, मध्य प्रदेश में 3487.076 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 30 जुलाई, 2011 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स छिंदवाड़ा प्लस डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 30 जुलाई, 2007 के माध्यम से 2000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद 22 सितंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित क्षेत्रफल में 1487.076 हेक्टेयर की वृद्धि करके करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 3487.076 हेक्टेयर हो गया। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान

किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 30 जुलाई, 2011 तक वैध थी। विकासक ने 30 जुलाई, 2011 के बाद वैधता अवधि पुनः बढ़ाने का अनुरोध किया है। 19 सितंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध के औचित्य तथा परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में प्रधान सचिव (उद्योग), मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया। तदनुसार क्षेत्रीय विकास आयुक्त मामले को उठा सकते हैं। तदनुसार अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

विकास आयुक्त, आईएसईजेड ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक एवं उद्योग तथा रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने विकास आयुक्त, एनएसईजेड को संबोधित पत्र दिनांक 30 मार्च 2012 के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य सरकार ने बहु उत्पन्न एसईजेड के लिए विकासक को 242.019 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यह भी सूचित किया गया है कि भूमि अनुसूचित जातियों, भूमि स्वामी की नहीं है तथा यह कि सरकार ने एसईजेड के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है।

विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि विकासक ने अब तक 1698 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा 202 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए कम से कम एक वर्ष की आवश्यकता है। जब विकासक 2100 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लेगा तो औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन करेगा। इसलिए विकास आयुक्त ने 30 जुलाई, 2011 से दो साल की अगली अवधि के लिए (अर्थात् 30 जुलाई, 2013 तक) सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

मद संख्या 54.11 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 27 अगस्त 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मोजर बेयर सोलर लिमिटेड जो ओर्गाडम, तमिलनाडु में सिपकॉट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विकासक ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 अगस्त, 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।"

मद संख्या 54.12 : पांचवें साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 06 नवंबर, 2012 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड जो मैसर्स मंगलौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मद संख्या 54.13 : प्रतिबंधित मर्दों के प्रापण के लिए एसईजेड की यूनिटों का अनुरोध

(i) एसईईपीजेड एसईजेड में यूनिटों द्वारा डीटीए से मदर ऑफ पर्ल के प्रापण के लिए अनुरोध

एसईईपीजेड ने सूचित किया है कि एसईईपीजेड ने निम्नलिखित ज्वैलरी यूनिटों ने सोने और चांदी के आभूषण में जड़ने के लिए डीटीए से मदर ऑफ पर्ल के प्रापण के लिए अनुरोध किया है :

(क) मैसर्स सनजेवेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड

(ख) मैसर्स एलीगनाज़ा ज्वैलरी लिमिटेड

(ग) मैसर्स अदिति जेवेल्स प्राइवेट लिमिटेड

वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के पैरा (iii) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से प्राप्त संबंधित एजेंडा नोट अनुबंध 3 (पृष्ठ संख्या 30-35) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(ii) प्रतिबंधित मर्दों के प्रापण के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड जो कट्टूपल्ली गांव, पोन्नेरी तालुक, तमिलनाडु में हैवी इंजीनियरिंग एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड सभी प्रकार के रक्षा एवं वाणिज्यिक पोत, वेजल तथा उनके पार्ट्स के निर्माण / विनिर्माण, मरम्मत तथा परिवर्तन के लिए यूनिट है। यूनिट ने नीचे उल्लेख के अनुसार प्रतिबंधित मर्दों के प्रापण के लिए अनुरोध किया है :

मर्द का नाम	आईटी एचएस कोड	अपेक्षित मात्रा की संख्या	अभ्युक्तियां
रडार	85261000	6	एक्स- बैंड रडार के 3 शिप के लिए भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय से अंतिम प्रयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।
नाइट विजन गोगल	90049010	6	भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय से अंतिम प्रयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 दिनांक 4 मार्च 2010 के पैरा (iii) के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मर्द संख्या 54.14 : गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थित दो एसईजेड यूनिटों के विलय के लिए मैसर्स सैपियंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स सैपियंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थित दो एसईजेड यूनिटों के विलय के लिए अनुरोध किया है। दोनों यूनिटों को अनुकूलित साफ्टवेयर एप्लीकेशन का निर्माण एवं वेब डिजाइनिंग, ई-कामर्स, डिजिटल कामर्स कंसल्टेंसी आदि सहित साफ्टवेयर विकास सेवा के लिए अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए 3 नवंबर 2011 को एलओपी प्रदान किया गया है। एक यूनिट 120059 वर्गफीट स्पेस का अधिभोक्ता है तथा दूसरी यूनिट 74430 वर्गफीट का अधिभोक्ता है। यह भी सूचित किया गया है कि दोनों यूनिटों ने अलग अलग बांड सह एल्यूटी निष्पादित किया है तथा दोनों यूनिटें उपकरणों पर ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त कर रही हैं। दोनों यूनिट क्रियाशील हैं। अवसंरचना के उपयोग को इष्टतम करने, प्रशासनिक सुविधा तथा अनुपालन के प्रयासों में सरलता लाने के लिए दोनों यूनिटों के विलय के लिए अनुरोध किया गया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया है कि दो एसईजेड यूनिटों के एलओपी के विलय के लिए एसईजेड अधिनियम / नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।

तदनुसार, अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.15 : सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए अनुरोध

(i) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोन्नाडा, मुलापेटा, रामनक्कापेटा गांव में बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

24 जनवरी 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 1013.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसके बाद, विकासक ने एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया था। चूंकि एसईजेड से एक सार्वजनिक रास्ता तथा क्रीक गुजर रहा है इसलिए विकासक को सूचित किया गया कि एसईजेड को तभी अधिसूचित किया जाएगा जब सन्निकटता स्थापित हो जाएगी। अब विकासक ने अधिसूचना से पूर्व सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है तथा बताया है कि मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रसंस्करण क्षेत्र तथा उपलब्ध सार्वजनिक रास्ता एसईजेड के केवल गैर प्रसंस्करण क्षेत्र से होकर गुजरेगा। विकासक ने दो अंडरपास, एक ओवरब्रिज तथा सार्वजनिक मार्ग के दोनों ओर चारदीवारी का निर्माण करके सन्निकटता स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित अंडरपास, ओवरब्रिज तथा चारदीवारी के लोकेशन को दर्शाने वाले मैप के साथ विकासक का अनुरोध अनुबंध 4 (पृष्ठ संख्या 36-37) के रूप में संलग्न है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) बहु सेवा एसईजेड की सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड (आरएचएसएल) का अनुरोध

गुडगांव, हरियाणा में 440.714 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) द्वारका से खेरकी दौला तक नार्दर्न पेरिफरल रोड का निर्माण कर रहा है। यह सड़क एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 8.1377 हेक्टेयर के क्षेत्रफल से गुजर रही है। हुडा ने प्रस्तावित सड़क के लिए कार्य अधिकार (आरओडब्ल्यू) के लिए अनुरोध किया है। प्रस्तावित सड़क से गैर प्रसंस्करण क्षेत्र की सन्निकटता भंग हो जाएगी।

विकासक को एसईजेड से सड़क के गुजरने पर कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, सन्निकटता बनाए रखने के लिए अंडरपास या ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना पर विचार करने के लिए विकास आयुक्त, एनएसईजेड के सुझाव पर विकासक ने बताया है कि चूंकि हुडा प्रस्तावित सड़क के आरओडब्ल्यू में अपनी सेवाओं / युटिलिटीज को भी स्थापित करना चाहता है इसलिए उनकी टीम ने मूल्यांकन किया है कि ओवरपास / अंडरपास का ऐसा निर्माण तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। विकासक ने बताया है कि उक्त सड़क का ग्रेड विकास करना अधिक किफायती है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि 5 जनवरी 2012 तथा 5 मार्च 2012 को आयोजित बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा मुद्दे की जांच की गई तथा विचार विमर्श किया गया और अनुमोदन बोर्ड के पास मामले को भेजने का निर्णय लिया गया है क्योंकि इसमें सन्निकटता के मुद्दे शामिल हैं।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.16 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) आंध्र प्रदेश में दूसरे एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स आईस्पेस ग्लोबल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जो सेरिलंगमपल्ली, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में नवयुग लिगाला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 26 अक्टूबर, 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स आईस्पेस ग्लोबल सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट ने 16 नवंबर, 2010 को उत्पादन शुरू किया है। 2011-12 के लिए यूनिट का निवेश 34.43 लाख रुपए है। 2011-12 के लिए यूनिट का निर्यात 1993.52 लाख रुपए है। 2011-12 के लिए यूनिट का रोजगार 153 है। शुरुआती तौर पर यह यूनिट 14433 वर्गफीट का अधिभोक्ता थी। अब यूनिट 28860 वर्गफीट का अधिभोक्ता है। यूनिट और विस्तार करना चाहती है परंतु ऐसा करने में समर्थ नहीं है क्योंकि विकासक ने अभी तक स्थायी कार्यालय स्थान का निर्माण नहीं किया है।

यूनिट ने सेरिलंगमपल्ली, आंध्र प्रदेश में मैसर्स नवयुग लिगाला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड से हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में दूसरे एसईजेड में अंतरण के लिए अनुरोध किया।

चूंकि विकासक उपर्युक्त यूनिट को अतिरिक्त स्थान प्रदान करने की स्थिति में नहीं है इसलिए यूनिट ने निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया है (क) मौजूदा एसईजेड परिसर से दूसरे एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए कंपनी को अनुमति प्रदान करना जहां कंपनी की आवश्यकता पूरी होगी और (ख) एसईजेड स्कीम के समान लाभों को जारी रखना जैसे कि इनपुट कर, आयात कर कस्टम ड्यूटी आदि के भुगतान से छूट जिसमें दूसरे एसईजेड में रिलोकेशन के बाद भी कंपनी द्वारा अर्जित लाभ पर आयकर के भुगतान से छूट शामिल है।

यूनिट ने यूनिट की समीक्षा के दौरान अनुमोदन समिति की जानकारी में मुद्दे को लाई थी। समिति ने औपचारिक आवेदन के लिए अनुरोध किया था तथा सलाह दी थी कि यूनिट के अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के पास अग्रेषित किया जाए। अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुसार यूनिट ने पत्र दिनांक के माध्यम से एसईजेड स्कीम के समान लाभों के साथ मौजूदा एसईजेड से दूसरे एसईजेड में रिलोकेशन के लिए औपचारिक रूप से अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुसार अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए यूनिट के अनुरोध को अग्रेषित किया है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) अपने लोकेशन को इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड - एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एमडब्ल्यूसी - आईटी एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्रियाशील यूनिट है। यूनिट ने मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड (अब मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जा रहे समान लोकेशन पर दूसरे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने 18 दिसंबर, 2009 को उत्पादन शुरू किया है। यूनिट ने 1579 लाख रुपए मूल्य का निर्यात किया है तथा 31 मार्च 2011 तक की स्थिति के अनुसार 1551.66 लाख रुपए का सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है। यूनिट ने बताया है कि कॉर्पोरेट विस्तार योजनाओं तथा व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वे अपनी यूनिट को एमडब्ल्यूसी आईटी - एसईजेड से मैसर्स इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड में ले जाना चाहते हैं।

यूनिट ने नए लोकेशन पर पट्टा पर 17771 वर्गफीट का स्थान प्राप्त किया है। यूनिट ने यह भी सूचित किया है कि उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया है तथा किराए का भुगतान कर रहे हैं और नए लोकेशन में प्रस्तावित विस्तार के लिए व्यक्तियों की भर्ती भी कर ली है।

24 जुलाई, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि प्रस्ताव में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में यूनिट की शिफ्टिंग पर आयकर अधिनियम की धारा 10ए के तहत कटौती को अनुमत करना शामिल है। सीबीडीटी के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर निर्णय के लिए समान प्रकृति के मामले आस्थगित किए गए थे। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने सभी संगत तथ्यों एवं मुद्दों पर विचार करने के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर निर्णय लेने के लिए मैसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एमडब्ल्यूसी-आईटी एसईजेड की यूनिट है, के अपने लोकेशन को इंडियन ग्रीन ग्रिड ग्रुप लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करने के अनुरोध को आस्थगित कर दिया।"

अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुसरण में फाइल पर मामले की जांच की गई तथा यूनिट द्वारा प्राप्त किए गए लाभों के संबंध में विकास आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा गया। पत्र दिनांक 8 अगस्त 2012 के माध्यम से विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने निम्नलिखित लाभ प्राप्त किए हैं :

(i) आईटी	: 2010-2011	210.70 लाख रुपए
	: 2011-2012	416.62 लाख रुपए
	: 2012-2013	201.00 लाख रुपए
(ii) सेवा कर	: 27.31 लाख रुपए	
(iii) आयात ड्यूटी	: 13.86 लाख रुपए	

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने यह भी सूचित किया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10ए के अनुसरण में शेष अवधि के लिए आयकर लाभ अनुमत किए जाने चाहिए।

मामले को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में एमडब्ल्यूसी-आईटी एसईजेड से अपने लोकेशन को कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में इंडियन ग्रीन ग्रुप लिमिटेड के एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) गुडगांव, हरियाणा में गुडगांव इनफोस्पेस लिमिटेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंसपाप डाट कॉम जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुडगांव, हरियाणा में आईटी / आईटीएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 08 दिसंबर, 2010 के माध्यम से मैसर्स इंसपाप डाट कॉम को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट ने 24 मार्च, 2011 से प्रचालन शुरू कर दिया तथा वर्ष 2011-12 के लिए यूनिट का निष्पादन इस प्रकार है :

निर्यात का एफओबी मूल्य	आयात (वर्ष के दौरान)	एनएफई स्थिति
------------------------	----------------------	--------------

	उपभुक्त)	
627 लाख रुपए	शून्य	627 लाख रुपए

यूनिट ने अपने वर्तमान लोकेशन अर्थात डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड, गुड़गांव, हरियाणा को गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए अनुरोध किया है। इस समय यूनिट 6713 वर्गफीट के क्षेत्रफल का अधिभोक्ता है। यूनिट ने सूचित किया है कि डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड की मौजूदा सुविधा उसी परिसर में अतिरिक्त स्थान को पट्टा पर लेने की अनुमति नहीं देती है जिसे एसईजेड यूनिट के पास वर्तमान में उपलब्ध स्थान के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसलिए यूनिट ने अब गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के एसईजेड में 15674 वर्गफीट का क्षेत्रफल अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव किया है। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10ए के प्रावधान के तहत किसी करावकाश का दावा नहीं किया है। प्रस्तावित रिलोकेशन के लिए निम्नलिखित औचित्य प्रदान किया गया है :

- (i) उसी परिसर में ग्रुप की एक अन्य संस्था अर्थात मैसर्स ईयूआई लिमिटेड से दोनों यूनिटों के लिए सुनिश्चित आईटी अवसंरचना की उपलब्धता के कारण एडमिरल ग्रुप पीएलसी को रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा।
- (ii) रिलोकेशन से परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक एवं सहायता लागतों को न्यूनतम करने में भी ग्रुप की कंपनियों को मदद मिलेगी। यूनिट ने उम्मीद की है कि प्रस्तावित लोकेशन पर प्रचालन यूनिट के लिए रेंटल तथा अनुरक्षण लागत यूनिट के लिए काफी किफायती है।
- (iii) समान भवन में तथा बिल्कुल आसपास स्थित दोनों संस्थाएं अधिक संयुक्त कार्यबल के साथ समान स्थान से प्रचालन करके भारत में अधिक दृष्टिगोचरता का सृजन करेंगी और इससे एचआर तथा अन्य सहायता कार्यों में मदद मिलेगी।
- (iv) यूनिट के रिलोकेशन से अर्हक कार्मिकों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे तथा अधिक मजबूत भारतीय प्रचालन से विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि होगी।

30 मार्च, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा विधिवत रूप से संस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा आस्थगित कर दिया गया।

यूनिट ने निम्नलिखित कारणों का हवाला देते हुए अपने अनुरोध पर निर्णय के लिए अनुरोध किया है :

- (i) यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत छूट के लाभ का दावा नहीं कर रही है और परिणामतः यूनिट के रिलोकेशन के बाद इस करावकाश लाभ का दावा नहीं किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि यूनिट ने अब तक उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क लाभ का दावा नहीं किया है।
- (ii) यूनिट ने एसईजेड यूनिट के लिए परिसर के लिए गुड़गांव इनफोस्पेस एसईजेड के विकासक के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। उपर्युक्त को देखते हुए अप्रैल 2012 के अंत तक रिलोकेशन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए काफी दबाव है। यूनिट के रिलोकेशन में विलंब से कंपनी की व्यवसाय योजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी।

मामले को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार यूनिट के लोकेशन को डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड, गुड़गांव, हरियाणा से गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड एसईजेड, गुड़गांव, हरियाणा में शिफ्ट करने के लिए यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) अपने लोकेशन को सोलिंगनल्लूर, तमिलनाडु में एलकॉट एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो मैसर्स श्रीराम प्रापर्टीज एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा परंगलादूर, चेन्नई में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड ने दूसरे एसईजेड अर्थात शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु में एलकॉट द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अपने परिसरों को ट्रांसफर करने के लिए अनुरोध किया है जहां मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (जिसने मैसर्स टेक महिंद्रा का अधिग्रहण कर लिया है) सह विकासक है। उल्लेखनीय है कि मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड पहले चेंगलपेट, तमिलनाडु में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के एसईजेड में स्थित था तथा श्रीराम प्रापर्टीज एसईजेड (जहां मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड के पास यूनिट के लिए उस समय वैध एलओए था) में ट्रांसफर के लिए यूनिट के अनुरोध को 16 सितंबर 2010 को आयोजित 42वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई तथा मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड नामक यूनिट ने अब मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा खाली किए गए परिसर में श्रीराम प्रापर्टीज में शिफ्ट कर लिया है। अब मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड ने वैश्विक मंदी / गिरावट का उल्लेख करते हुए श्रीराम एसईजेड से डिबांड कर लिया है। मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड के पास एलकॉट एसईजेड अर्थात मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड से स्थान के लिए अनंतिम प्रस्ताव पत्र है तथा उन्होंने बताया है कि श्रीराम एसईजेड से एलकॉट एसईजेड में यूनिट को शिफ्ट करने से किराए में बचत के रूप में प्रचालनात्मक लाभ होगा और यह कि मैसर्स टेक महिंद्रा के साथ सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के विलय के बाद केवल टेक महिंद्रा सह विकासक एवं यूनिट के रूप में एलकॉट एसईजेड में कार्य करेगा तथा यह कि ट्रांसफर पर यूनिट द्वारा किसी वृद्धिमूलक आईटी लाभ का दावा नहीं किया जाएगा अर्थात यह अपने मूल एलओए के क्रम में प्रचालन की शेष अवधि के लिए पात्रता के अनुसार आईटी लाभ का दावा करेगी (उसी यूनिट की तरह जो पहले महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड में काम कर रही थी और फिर श्रीराम प्रापर्टीज एसईजेड में समान एलओए के तहत एलकॉट एसईजेड में अब ट्रांसफर करने का प्रस्ताव है)।

विकास आयुक्त ने इस शर्त के अधीन अनुरोध की सिफारिश की है कि दूसरे एसईजेड में यूनिट के लोकेशन में और परिवर्तन की कोई अनुमति नहीं होगी तथा यह कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए उनको मूलतः जारी किए गए एलओए के तहत उनके द्वारा पहले प्राप्त किए गए आईटी लाभों के क्रम में शेष पात्र अवधि के लिए ही आईटी लाभ प्राप्त किए जाएंगे। यूनिट के अनुरोध के साथ विकास आयुक्त की रिपोर्ट अनुबंध 5 (पृष्ठ संख्या 38-44) के रूप में संलग्न है।

यूनिट का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.17 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीपीएल) का अनुरोध

17.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीपीएल) द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एसईजेड 19 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक की शेयर होल्डिंग का मूल पैटर्न इस प्रकार था :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईपीडीएल)	51.03
2.	अल्टा विस्टा इनवेस्टमेंट लिमिटेड	48.97
	कुल	100.00

6 जुलाई 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए विकासक को अनुमोदन प्रदान किया गया था :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईपीडीएल)	100.00 प्रतिशत

अब विकासक ने ईपीडीएल में धारित सभी शेयरों को पुणे डायनेस्टी प्राजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीपीएल) जो ईपीडीएल की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को ट्रांसफर करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रस्तावित ट्रांसफर के बाद पीईपीपीएल का प्रस्तावित शेयर होल्डिंग पैटर्न इस प्रकार होगा :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	पुणे डायनेस्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीपीएल)	100.00 प्रतिशत

यह अनुरोध 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 31वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित श्रेणियों की श्रेणी दो के तहत आता है जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 21 में भी दर्शाया गया है।

अनुरोध पर विकास आयुक्त, एसईईपीजेड की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विकासक का नाम मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स आरएमजेड इकोवर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुरोध

18.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संपूर्ण शेयरों को मैसर्स आरएमजेड इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड को अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

अब विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक का नाम मैसर्स आदर्श प्राइम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स आरएमजेड इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड हो गया है तथा विकासक ने इसके लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

कंपनी रजिस्ट्रार कर्नाटक द्वारा 26 जुलाई, 2012 को जारी की गई नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) कंपनी के नाम तथा शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स जेबीएसईजेड प्राइवेट लिमिटेड जो अंकलेश्वर के पास पनोली, भडूच जिला, गुजरात में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

पानोली, अंकलेश्वर के पास, जिला भडूच गुजरात में 125.04.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 9 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था।

विकासक की शेयर होल्डिंग का मूल पैटर्न इस प्रकार है :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	एचबीएस रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	34.30
2.	आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड	0.97
3.	आईआईआरएफ इंडिया रियल्टी वीआई लिमिटेड	29.03
4.	दि मूडी ग्रुप	35.70
	कुल	100

विकासक ने निम्नानुसार शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	एचबीएस रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	34.30
2.	एचबीएस ग्रुप कंपनी जो व्यक्तियों का संघ है जिसमें उनके पार्टनर विपिन सी शाह और संदीप बी शाह के माध्यम से एचबीएस रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा अरिहंत डवलपर्स शामिल हैं।	35.70
3.	आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड	0.97
4.	आईआईआरएफ इंडिया रियल्टी वीआई लिमिटेड	29.03
	कुल	100

विकासक ने यह भी सूचित किया है कि विकासक का नाम जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड हो गया है और इसलिए उन्होंने इसके लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

कंपनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र द्वारा 3 अगस्त, 2012 को जारी की गई नाम में परिवर्तन की अधिसूचना पर निगमन के लिए नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संशोधित शेयरहोल्डिंग पैटर्न में मूल शेयरधारक 64 प्रतिशत से अधिक शेयरों के धारक हैं। इसलिए यह अनुरोध 15 जनवरी 2009 को और 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 31वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित श्रेणियों की श्रेणी दो के तहत आता है।

विकास आयुक्त, केएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध को अग्रेषित किया है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 54.18 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) एसईजेड के बाहर कुछ विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की अनुमति न दिए जाने के विरुद्ध मैसर्स एमएसएस जीएमआर एयरोटेक्निक लिमिटेड जो शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एविशन के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविशन एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे एसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स एमएसएस जीएमआर एयरोटेक्निक लिमिटेड ने एसईजेड की चारदीवारी के बाहर किंतु एयरपोर्ट के अंदर कुछ विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया था। उपकरणों में मुख्य रूप से एयरपोर्ट से एसईजेड में एरोप्लेन को टो करने के लिए दो टो ट्रैक्टर शामिल हैं तथा यूनिट द्वारा अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए आवश्यक हैं। 9 दिसंबर 2011 को आयोजित यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया तथा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि ऐसी गतिविधि को अनुमत करने के लिए एसईजेड नियमावली में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

यूनिट अनुमोदन समिति के उपर्युक्त निर्णय से व्यथित मैसर्स एमएसएस जीएमआर एयरो टेक्निक लिमिटेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। यूनिट ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय की समीक्षा के लिए निम्नलिखित औचित्य प्रदान किया गया है :

- (i) उपकरण एयरपोर्ट एप्रन से एयरक्राफ्ट को लाने तथा सर्विस के बाद रनवे तक एयरक्राफ्ट को छोड़ने के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट के अंदर 4 किलोमीटर की रेंज तक एसईजेड के गेट के बाहर उपकरण जाएगा। अनुमति के अभाव में हैंगर में एयरक्राफ्ट को लाने और सर्विस के बाद एयरक्राफ्ट को भेजने में भी काफी विलंब होगा जिससे एयरक्राफ्ट का टर्न एराउंड टाइम (टीएटी) बुरी तरह प्रभावित होगा।
- (ii) गेट तक और गेट के अंदर टो उपकरण के परिवर्तन से एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो सकता है तथा टीएटी में विलंब हो सकता है।
- (iii) चूंकि इस विशिष्ट उपकरण का उपयोग केवल एयरक्राफ्ट को टो करने के लिए किया जा सकता है इसलिए यदि अनुमति नहीं दी जाएगी तो यह बेकार पड़ा रहेगा और कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है।
- (iv) एसईजेड में मौजूद कस्टम अधिकारियों के पर्यवेक्षण में इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
- (v) यूनिट इस आशय का वचन पत्र देगी कि उपकरण का प्रयोग किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।
